(ग) चालू वित्तीय वर्ष (1994-95) के बजट में प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के लिये 145 करोड़ रु० तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं के लिये 214 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई है।

एच० एम० टी० का निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए अनुमति का दिया जाना

1473. श्री सैफ़ुद्दीन पाल:
श्री रामदास सहतो:
डा० लौनिहाल सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को उत्पादन और विपणन क्रियाकलापों के लिये देश में और विदेश में उसकी विभिन्न इकाइयों को निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति दे दी है अथवा देने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने सहयोग करने के संबंध में किन-किन कम्पनियों के साथ विचार विमर्श किया है अथवा निर्णय लिया है।

(ग) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और इसकी वित्तीय और उत्पादन क्षमता संबंधी स्थिति का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस नीति से क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) : एच० एम० टी० की तकनीकी एवं पूंजी आदि की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कम्पनी के अलग-अलग व्यवसाय समूहों को अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम कम्पनियों में परिवर्तित करने के लिये सिद्धांतरूप में अनुमति दी है। कम्पनी विभिन्न संभावनाओं का पता लगा रही है। अधिक ब्यौरा बताना इस समय एच.एम.टी. के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उठाए गए घाटे के कारण

1474. श्री जगेश्वर यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश उद्यमों में उनके शुरू किये जाने के कुछ समय के बाद ही घाटा होना प्रारम्भ हो जाता है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे रुग्ण उद्यमों की समस्याओं को हल करने के लिये उसी समय प्रयास न किये जाने के क्या कारण हैं, जिससे कि उनको निरन्तर होने वाले घाटे को रोका जा सके ;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में अकुशल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति का किया जाना और संसाधनों का अनुचित प्रयोग किया जाना भी इन उद्यमों के रुग्ण होने के प्रमुख कारण हैं ;

(घ) यदि हां, तो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के क्रियाकलापों पर निगरानी रखने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ; और

(ङ) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे रुग्ण उद्यमों को पुनरुज्जीवित करने के लिये क्या कदम उठाए हैं और ये कदम कितने प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकारी उद्यमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों का चयन क्षमता तथा योग्यता के आधार पर एक विशेषक्ष चयन समिति द्वारा किया जाता है। कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग तथा संबंधित उद्यम द्वारा उद्यम-विशेष की आवश्यकता के अनुसार कार्यवाही की जाती है। सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों के पुनरुद्धार हेतु किये गये उपायों में रुग्ण उद्यमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्नगठन मण्डल को सौंपना श्रम राज्य मंत्री की अध्यक्षता में विशेष विधीय समिति का गठन करना, राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना करना, कामगारों की संख्या को युक्तिसंगत बनाना तथा सरकारी उद्यमों का पुनर्गठन करना आदि शामिल है।

Committee to monitor PM's Rozgar Yojna

1475. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Union Government have appointed a high level commitee to monitor the P.M.'s Rozgar Yojna to provide employment to educated youth;

(b) if so, the details thereof and the main functions of this Committee;

(c) whether the Committee's recommendations will be final;

(d) if so, what is the total number of pesrons provided self-employment since 2nd October, 1993;

(e) the States where this scheme has so far bten fully implemented;

(f) whether during the financial year 1994-95, the scheme will be extended to rural areas also;

(g) whether banks have been asked to clear 40,000 loan aplications by 31st March, 1994; and

(h) if so, how many applications have been cleared so far and the time taken to clear each application?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) A Statement is enclosed. (*See* below).

(c) The committee's recommendations are advisory in nature.

(d) During 1993-94, banks have sanctioned loans to 31,797 beneficiaries. As per the reports received from the State/UT Governments banks have sanctioned loans to 661 beneficiarits till the end of June during 1994-95.

(e) This scheme has been in operation in all the States/UTs of the country.

(f) Yes, Sir.

(g) and (h) As at the end of 31.3.1994 banks santcioned loans to 31,797 beneficiaries against the target of 40,000 for the year. The number of applications recommended by Task Forces to the banks and sanctioning of loan to the beneficiaries is a regular and continuous process.

Statement

CONSTITUTION OF HIGH POWERED COMMITTEE

Secretary (SSI & ARI)—Chairman

MEMBERS:

1. AS & DC (SSI)
2. Joint Secretary, Deptt. of Rural Development.
3. Joint Secretary, Deptt. of Banking.